

## दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश

### प्रलिस के लयि:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकिरण, केयरगिस पोर्टल, कशिर न्याय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधनियम, 2015](#)

### मेन्स के लयि:

भारत में बाल दत्तक ग्रहण और संबधति मुद्दे, बच्चों से संबधति मुद्दे

[स्रोत: द हद्वि](#)

### चर्चा में क्यों?

[भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने हाल ही में एक [गैर-सरकारी संगठन \(NGO\)](#) द्वारा दायर याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए [देश में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और इसे सरल बनाने के लयि](#) केंद्र, राज्य और केंद्रशासति प्रदेशों को कई नरिदेश जारी कयि हैं।

- न्यायालय ने दत्तक ग्रहण की कम दर और स्थायी परिवार के बना बाल देखभाल संस्थानों (CCI) में बड़ी संख्या में रहने वाले बच्चों को लेकर भी चति व्यक्त की है।

### दत्तक ग्रहण के वषिय में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

- न्यायालय ने कहा कि CCI में रहने वाले बच्चों, जिनके माता-पति एक वर्ष से अधिक समय से उनसे मलने नहीं आए हैं या जिनके माता-पति या अभिभावक "अयोग्य" हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिये और उन्हें दत्तक श्रेणी के अंतर्गत लाना चाहिये।
  - न्यायालय ने 'अयोग्य अभिभावक' को एक ऐसे व्यक्तिके रूप में परभाषति कयि जो "माता-पति बनने के लयि अयोग्य या अनचिष्टुक" है, जो मादक द्रव्यों का सेवन करता है, दुर्व्यवहार या शराब में लपित है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या उसकी उपेक्षा करता है, जिसका आपराधकि रिकॉर्ड है, जिसि स्वयं देखभाल की आवश्यकता है या जो मानसकि रूप से अस्वस्थ है आदी।
- न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को CCI में अनाथ-परतियक्त-आत्मसमर्पति (OAS) श्रेणी में बच्चों की पहचान करने हेतु द्वमिसकि अभियान शुरू करने का आदेश दयि।
- न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को दत्तक ग्रहण के लयि संभावति बच्चों, वशिष रूप से CCI में कमजोर बच्चों पर डेटा संकलति करने तथा वविरण [केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकिरण \(Central Adoption Resource Authority- CARA\)](#) और महिला एवं बाल वकिस मंत्रालय को सौपने का भी नरिदेश दयि।
- न्यायालय ने कहा कि राज्यों को भारत में दत्तक ग्रहण के लयि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाइल्ड एडॉप्शन रसिोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ससि्टम (CARINGS) पोर्टल पर ज़ल्लि के सभी OAS बच्चों का पंजीकरण सुनश्चिति करना चाहिये।

### केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकिरण (CARA) क्या है?


- CARA, महिला एवं बाल वकिस मंत्रालय का एक वैधानकि नकिय है।
- यह भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लयि नोडल नकिय है और इसे देश में दत्तक ग्रहण की नगिरानी करने एवं वनियमन का अधकिार है।
- CARA को वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थति [हेग कन्वेंशन](#) ऑन इंटरकंट्री एडॉप्शन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण (Adoptions) की गतविधियिों से नपिटने के लयि केंद्रीय प्राधकिरण के रूप में भी नामति कयि गया है।
- CARA मुख्य रूप से अपनी संबध/मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियिों के माध्यम से अनाथ, परतियक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने का कार्य करता है।

## भारत में दत्तक ग्रहण के वर्तमान रुझान तथा आँकड़े क्या हैं?

- CARA के अनुसार, देश में सालाना लगभग 4,000 बच्चे गोद लिये जाते हैं, जबकि वर्ष 2021 तक 3 करोड़ से अधिक अनाथ थे।
- CARA के ऑनलाइन पोर्टल CARINGS के अनुसार, वधिकि रूप से गोद लेने के लिये उपलब्ध बच्चों तथा संभावित दत्तक माता-पिता (Prospective Adoptive Parents- PAPs) की संख्या के बीच भी एक बड़ा अंतराल है।
  - PAPs ऐसे व्यक्ति अथवा युग्म हैं जो दत्तक माता-पिता बनने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
  - CARA द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के राज्य-वार विश्लेषण से पता चला कि अक्टूबर 2023 तक 2,146 बच्चे गोद लेने के लिये उपलब्ध थे।
  - इसके विपरीत अक्टूबर 2023 तक लगभग 30,669 PAPs को देश में गोद लेने के लिये पंजीकृत किया गया है।
    - पंजीकृत PAPs तथा गोद लेने के लिये उपलब्ध बच्चों की संख्या में भारी बेमेल के कारण PAPs को 'स्वस्थ तथा छोटा बच्चा' गोद लेने के लिये तीन से चार वर्ष तक प्रतीक्षा करना पड़ती है।
  - CARA के सारणीकरण से पता चलता है कि 69.4% पंजीकृत PAPs शून्य से दो वर्ष की आयु के बच्चों को चुनते हैं; 10.3% दो से चार वर्ष के आयु वर्ग को तथा 14.8% चार से छह वर्ष के आयु वर्ग को चुनते हैं।
- इसके अतिरिक्त देश के 760 ज़िलों में से केवल 390 ज़िलों में वशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण मौजूद हैं।

## The number of adoptions in the country has been on the decline for a decade now

### In-country adoption



### Inter-country adoption





लडल ँक अस्थायी और ढषण वातावरण ढरदान करना ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-urges-to-boost-adoption-pool>

